कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विज्ञापन संख्या–4बी(2)/नियुक्ति/2013/3036 लखनऊ, दिनांकः 15/10/2013
विज्ञापन जारी करने की तिथि :– 14-10-2013
आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथिः– 20-11-2013 को सायं 05:00 बजे तक।
आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने का स्थानः– निदेशक (पैरामेडिकल), अनुभाग–4बी (2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ.प्र. स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के अधीन प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रिक्त 208 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभागीय विज्ञापन संख्या–4बी (2)/नियुक्ति/2010/884, दिनांक 23-02-2011 के क्रम में पूर्व संचालित चयन प्रक्रिया को शासनादेश संख्या–1370/पांच–7–2013–रिट–13 (4)/2010 दिनांक 04-07-2013 एवं शासनादेश संख्या–1253/पांच–7–2012–रिट–13 (4)/2010 दिनांक 16-07-2012 में निहित निर्देशों के अनुपालन में निरस्त करते हुए प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 450 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों पर भर्ती संगठीय सेवा नियमावली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली–2002, 2003 एवं यथा संशोधित–2007 के नियमों एवं प्राविधानों के अंतर्गत किया जायेगा। नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही मा. उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में लम्बित रिट याचिका संख्या–3807 (एस.एस.) 2012 चंचल मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

1– (क) शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के सन्दर्भ में अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे।

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	अंक जो दिये जायेंगे
(एक)	इंटरमीडिएट (विज्ञान)	साठ प्रतिशत या उससे ऊपर।	10 अंक
		पैंतालिस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम।	08 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालिस प्रतिशत से कम।	06 अंक
(दो)	प्रयोगशाला तकनीशियन डिप्लोमा	साठ प्रतिशत या उससे ऊपर।	20 अंक
		पैंतालिस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम।	15 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालिस प्रतिशत से कम।	10 अंक

(ख) प्रादेशिक सेना के छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम पन्द्रह अंक होगा।

(एक)	सेना के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए।	05 अंक
(दो)	सेना के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए।	05 अंक

(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जाएगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियम कुल अंकों का अधिकतम पांच अंक होगा।

(एक)	यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो।	05 अंक
(दो)	यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो।	04 अंक
(तीन)	यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो।	03 अंक
(चार)	यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल/स्तर का खिलाड़ी हो।	02 अंक

(घ) साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार में निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे।

एक	विषय/सामान्य ज्ञान	10 अंकों
दो	व्यक्तित्व निर्धारण	20 अंकों
तीन	अभिव्यक्ति क्षमता	20 अंकों

2– सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2007 के उपबन्धानुसार रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी, जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जायेगी।

3– पदों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र.सं.	पद नाम	नियुक्ति/चयनकर्ता अधिकारी का नाम	आयु 01 जुलाई 2013	वेतनमान रु.	कुल पदों की संख्या	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टैक्नीशियन)	महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ.प्र. लखनऊ।	18–40 वर्ष	5220–20200 ग्रेड पे–2800	450 (29 (बैकलॉग पद सहित)	211	114	117 (88+29) (29 पद (बैकलॉग के हैं।)	8

शैक्षिक योग्यता:–

1– प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ हेतु:– माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. की इण्टरमीडिएट परीक्षा, विज्ञान विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा दिया गया प्रयोगशाला तकनीशियन डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा रखता हो।

अधिमानी अर्हता:–

1– प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।
2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

सामान्य निर्देश:–

1– आवेदन पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप पर दो प्रतियों (संलग्नकों सहित) अभ्यर्थी को पंजीकृत/स्पीडपोस्ट द्वारा भेजना होगा।
2– अभ्यर्थी यदि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, उन्हें अपना सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3– शासन द्वारा प्रदत्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व विकलांग श्रेणी के तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
4– आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता संबंधी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट का अंकपत्र/प्रमाणपत्र एवं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा संबंधी अंकपत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (पिता पक्ष की ओर से), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अथवा भूतपूर्व सैनिक होने के दावे के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जिस शिक्षण संस्था से अन्तिम शिक्षा प्राप्त की है, के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रत्येक दो–दो प्रतियों तथा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र तथा तीन पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो सहित, जिस पर अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित हो एक आवेदन पत्र पर चिपकायी जाये तथा दो फोटो आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाये। अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता लिखा एवं उस पर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित धनराशि का टिकट लगे हुए दो लिफाफे (10×23 से.मी. साइज) का अवश्य संलग्न हो।
5– आवेदन पत्र के लिफाफे पर साफ अक्षरों में आवेदित पद का नाम तथा आवेदित आरक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आदि स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में लिफाफे में सबसे ऊपर दाहिनी ओर अंकित करना होगा।
6– चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी जनपद में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सालयों में तैनात किया जायेगा एवं भविष्य में किसी भी समय जनहित में उन्हें अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
7– आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने/अपूर्ण होने जैसे बिना अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं बिना अन्य वांछित प्रमाण पत्रों के संलग्न किये गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
8– आवेदन पत्र केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 20-11-2013 को सायं 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। डाक विभाग द्वारा आवेदन पत्रों के प्रेषण में किये गये विलम्ब हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का समय–समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा।
10– अभ्यर्थियों का चयन विभागीय चयन, समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं इस विषय पर कोई पत्राचार स्वीकार न होगा। चयन में किसी भी प्रकार की सिफारिश/संस्तुति अयोग्यता मानी जायेगी। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
11– विज्ञापन जारी होने के पश्चात, चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व यदि कोई शासन के आदेश प्राप्त होंगे तो तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी, जो मान्य होगी।
12– अभ्यर्थियों के अर्ह/अनर्ह होने के सन्दर्भ में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
13– प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ पद हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
14– साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी। पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।
15– सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार नियुक्ति अधिकारी में सुरक्षित होगा।

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पैरामेडिकल संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग का नाम :– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन लखनऊ
विज्ञापन संख्या:– --
पद का नाम:– --
1– अभ्यर्थी का नाम हिन्दी में--
अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में)--
2– पिता/पति का नाम हिन्दी में--
अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में)--
3– पत्र व्यवहार का पता --
4– अभ्यर्थी का स्थायी पता --
5– वैवाहिक स्थिति :– --
6– जन्मतिथि (जैसा कि हाईस्कूल एवं समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित हो)
(अ) जन्म तिथि शब्दों में :– ------------------------------ तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐
(ब) 01 जुलाई, 2013 को आयु :– ------------------------------ वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो यहां चिपकायें तिथि सहित अपने हस्ताक्षर भी करें

7– शैक्षिक अर्हता का विवरण:–

क्र.सं.	बोर्ड/संस्था का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी

8– तकनीकी अर्हता का विवरण:–

क्र.सं.	संस्था का नाम (राज्य चिकित्सा संकाय लखनऊ उ.प्र.)	पंजीकरण संख्या	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी

9– अभ्यर्थी वर्ग आरक्षण के सम्मुख ✓ लगायें, शेष पर X अंकित करें।

सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक

10– अधिमानी अर्हता यदि कोई हो:– --
(क) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या------------------------------
(ख) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो------------------------------
11– यदि अभ्यर्थी खिलाड़ी है तो उसका स्तर तथा प्रमाण पत्र------------------------------
1– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, 2– राष्ट्रीय स्तर, 3– राज्य स्तर, 4– विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर।
12– यदि अभ्यर्थी छटनी शुदा कर्मचारी है तो:–
(क) एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (ग) दो वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो,

:– घोषणा पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तें मान्य है, आवेदन पत्र की समस्त सूचनायें सही है, गलत पाये जाने पर चयनोपरान्त मेरा चयन निरस्त कर दिया जाये।
स्थान : ----------------------
दिनांक : ----------------------
संलग्नक:----------------------

अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर दिनांक सहित
(हस्ताक्षर पठनीय न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा)

UP-80385 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है